कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC-301

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 10/04/2019

विषय – बाँका जिलान्तर्गत ग्राम मसुदनपुर में IOCL के बॉटलिंग प्लान्ट के (Entrance/ Exit and Emergency Exit Point) पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.1239 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बाँका जिलान्तर्गत ग्राम मसुदनपुर में IOCL के बॉटलिंग प्लान्ट के (Entrance/ Exit and Emergency Exit Point) पहुँच पथ निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन हेतु वरीय प्रबंधक (एल.पी.जी. प्रोजेक्ट) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० (वि०प्र०) इण्डेन बॉटलिंग प्लान्ट, बाँका का प्रस्ताव वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से जाँचोपरान्त प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित परियोजना में अपयोजित होने वाली वन भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 921(E) दिनांक 28.08.1997 द्वारा **"सुरक्षित वन (पथ तट)" के रूप में अधिसूचित है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।** परियोजना में अपयोजित होने वाली वन भूमि का गणना (0.1239 हे०) विवरणी वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3. इस प्रकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण में 0.1239 हे० वन भूमि का अपयोजन एवं **शून्य** वृक्षों का पातन प्रस्तावित है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा एवं Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.1 एवं भाग–II की प्रविष्टि में यह भी अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

5. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा FRA, 2006 का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के बाद उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। नियमतः वन (संरक्षण) अधिनियम संशोधन नियामावली 2003 के आलोक में District Collector को FRA, 2006 certificate देने संबंधी कार्रवाई Stage-I की स्वीकृति के पूर्व निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न कर लेनी चाहिए तथा वन संरक्षक को FRA, 2006 certificate उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रकार नियमावली 2003 के अनुसार Stage-I (in-principle Approval) के पूर्व की Time-line में District Collector के द्वारा FRA, 2006 Certificate

बाद लगायी गई शर्त्तों के अनुपालन के समय–सीमा में जिला पदाधिकारी द्वारा FRA, 2006 Certificate प्रदान करने का निर्देश, विरोधाभासी प्रतीत होता है। फिर भी भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है।

6. उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, एवं वन संरक्षक, का अनुशंसा प्राप्त है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

(1) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(2) 0.1239 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 77,561/– (रूपये सतहतर हजार पाँच सौ एकसठ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(3) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 100 पौधों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी पर तैयार कर, प्राक्कलित राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(4) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुसार उक्त भू–भाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।

(5) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही बॉटलिंग प्लान्ट की परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश निकास को छोड़कर बॉटलिंग प्लान्ट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–FC-301 दिनांक 10/04/2019

प्रतिलिपि – वरीय प्रबंधक (एल.पी.जी. प्रोजेक्ट), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (विप्र0) हण्डेन बॉटलिंग प्लान्ट, बाँका को सूचनार्थ।

(ए० के० पाण्डेय) 10/04/19
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।